

पहले पेज से आगे

स्मार्ट सिटी योजना

रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार से सौ-सौ करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें से 40 करोड़ के काम शुरू करा दिए गए हैं। उकात कहना है कि रायपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने लगातार काम हो रहे हैं। अगामी कुछ माह में यहाँ कई काम दिखने भी लगेंगे।

कोविंद का पर्चा

सहमति से मीरा कुमार के नाम पर मुहर लग गई। मीरा कुमार की उमीदवारी के बाद अब जेडीयू पर निगाहें टिकी हैं कि क्या बिहारी अधिकारी का खाल कर नीतीश पाला तो नहीं बदलें। हालांकि जेडीयू की ओर से साफ संकेत है कि वे रामनाथ कोविंद को ही समर्थन देंगी।

दो माह में शराब खपत कम, आमदानी बढ़ी

3 हजार से ज्यादा की आमदानी के गांवों की शराब दूकानें बंद करने का फैसला लिया गया। इस बजाए से 99 फौसदी गांवों में शराब दूकानें नहीं हैं। सरकार ने एक अप्रैल से शराब दूकानों का संचालन शुरू किया था। दो महीने में पिछले साल की तुलना में 90 करोड़ की अतिरिक्त आय हुई है। जबकि 25 फौसदी देरी-देरी शराब की खपत कम हुई है। जबकि शराब की कीमत चखना सेंटर ने उस संबंध में कोई बदलाव नहीं दिया है। नगर निगम की भूमि पर यह देला लिया जाता है तो कोविंद की जाएगी।

आबकारी अयुक्त अशोक अग्रवाल ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में कहा कि बिना ड्यूटी के डिस्ट्रिलरों से शराब नहीं निकलने दिया जा रहा है। साथ ही डिटेल में बिक्री से भी पूरा प्राफिट सरकार को मिल रहा है। कोविंदों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया गया है। अवैध शराब बिक्री पूरी तरह से रुक गई है। उन्होंने कहा कि शराब दूकानों के संचालन में 'प्लॉसमेंट एजेंसियों के कर्मचारियों के बेतन-दूकान किराया और बिजली बिल व परिवहन पर कुल महीने का खर्च 16 करोड़ के कारबाह है। उन्होंने कहा कि 30 जून तक सभी दूकानों की बिक्री तक लग जाएगी। इसके अलावा स्कैन-प्रिंटर आदि भी उत्तरव्य जाएगी। इसके लिये शराब बिक्री में पूरी तरह पारदर्शिता आएगी और आय भी बढ़ेगी।

जीएसटी में शुरूआत में अनन्जाने में हुई गलतियों

कहा जिएटीटी द्वाखिल करने में अनन्जाने में हुई गलतियों और कर अपवंचनों के लिए जानवृकर की गई गलती में भेद किया जाएगा। अधिया ने जीएसटीटी टाउनहॉल में कहा, हमारी मंथन जीएसटी को सुगम तरीके से लाग करने की है। हमारा इरादा पहले महीने किसी को परेशन करने का नहीं है।

अधिया ने कहा कि हम अनन्जाने में हुई गलतियों के लिए काफी उदारता दिखाएंगे। यह पहुंचे जाने पर कि क्या शुरुआती महीने में सरकार दंड और जमाना प्रावधानों में उदारता दिखाएंगी। उन्होंने कहा, उदारता दिखाएंगी, लेकिन हम इसके घोषणा नहीं कर सकते हैं। नियमों के तहत यह व्यवस्था है कि जीएसटी परिषद निश्चित समय के लिए कुछ जरूरतों में कूट दे सकती है।

गर्भपात के लिए महिला ने दी याचिका

बोर्ड का गठन करेगा ताकि ये पाता चाल सके कि क्या बच्चे या मां को किसी तरह का खतरा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जावाब मांगा है और शुक्रवार को सुनवाई तय की है। गौरांगलब ने किंदेरे से जावाब प्राप्त कर 20 हफ्ते के भ्रमन के गर्भपात कराया जा सकता है। इसी को लेकर पहले भी सुरीम कोट में कई मामले आ चुके हैं।

पेज 12 से आगे

बिलासपुर आबकारी के फर्जीवाड़े ...

आदेश में कहीं भी नहीं लिखा है कि चखना सेंटर चलाने की अनुमति आबकारी विभाग देगा।

इस बारे में खाद्य एवं अधिकारी प्रशासन के निरीक्षक देवेन्द्र विन्ध्याचार्य ने बताया कि उके पास शराब दूकानों के आसपास ठेले लगाने के लिए 40 अवेदन आए थे। इन सबका 100 रुपये की फीस लेकर अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनको सरकारी जमीन को छोड़कर किसी

भी स्थान पर चलाता-फिरता ठेला चलाने की अनुमति है। शराब की बिक्री, या शराब पिलाने की अनुमति इन्हें नहीं दी गई है। जब उहें बताया गया कि चखना सेंटर चलाने वालों ने तो शराब पीने की सुविधा दे रखी है। उन्होंने अस्थायी ठेला लगाने की जगह टेंट लगाकर कूलर, पेंडे, टेबल-बूर्झी सहित स्थायी होटल खोल रखा है। टेबल कूर्सियां भी लग रखी हैं और खुली खाद्य सामग्री भी बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि शराब की अधिक रूप से बिक्री या पिलाने का काम ही रखा है तो यह आबकारी विभाग को देखना चाहिए। अधिक प्रशासन विभाग सिर्फ खाद्य सामग्री की शुद्धता की जांच कर सकता है। यदि किसी ने जगह को भेरकर बिक्री शुरू की है तो नगरी प्रशासन विभाग के लिए एवं डॉर्टर जारी किए जा रहे हैं। उकात कहना है कि रायपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने लगातार काम हो रहे हैं। आगामी कुछ माह में यहाँ कई काम दिखने भी लगेंगे।

कोविंद का पर्चा

सहमति से मीरा कुमार के नाम पर मुहर लग गई। मीरा कुमार की उमीदवारी के बाद अब जेडीयू पर निगाहें टिकी हैं कि क्या बिहारी अधिकारी नामांकित का खाल कर नीतीश पाला तो नहीं बदलें। हालांकि जेडीयू की ओर से साफ संकेत है कि वे रामनाथ कोविंद को ही समर्थन देंगी।

दो माह में शराब खपत कम, आमदानी बढ़ी

3 हजार से ज्यादा की आमदानी के गांवों की शराब दूकानें बंद करने का फैसला लिया गया। इस बजाए से 99 फौसदी गांवों में शराब दूकानें नहीं हैं। सरकार ने एक अप्रैल से शराब दूकानों का संचालन शुरू किया था। दो महीने में पिछले साल की तुलना में 90 करोड़ की अतिरिक्त आय हुई है। जबकि 25 फौसदी देरी-देरी शराब की खपत कम हुई है। जबकि शराब की कीमत चखना सेंटर ने उस संबंध में कोई बदलाव नहीं दिया है। नगर निगम की भूमि पर यह देला लिया जाता है तो कोविंद की जाएगी।

इधर नगर निगम विभाग के निरीक्षक अनिल सिंह ने बताया कि चखना सेंटर के किसी भी संचालक ने नगर निगम में ठेला लगाने की कोई अनुमति नहीं मांगी है। अस्थायी ठेलों को मामूली शुल्क के बाद यह लातेसें प्रदान किया जाता है। यदि नगर निगम की भूमि पर यह देला लगाया जाता है तो उसके लिए एवं डॉर्टर जारी किया जाता है। यदि किसी भी विकास पर यह देला लगाया जाता है तो अवधारी ने उसे एवं डॉर्टर जारी किया जाता है।

इस बजाए जीएसटीटी की बायोडायाग्राम विभाग के लिए एवं डॉर्टर जारी किया जाएगा।

इस बजाए जीएसटीटी की बायोडायाग्राम विभाग के निरीक्षक देवेन्द्र विन्ध्याचार्य ने बताया कि उके पास शराब दूकानों के आसपास ठेले लगाने के लिए 40 अवेदन आए थे। इन सबका 100 रुपये की फीस लेकर अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनको सरकारी जमीन को छोड़कर किसी

भी स्थान पर चलाता-फिरता ठेला लगाने की अनुमति है। शराब की बिक्री, या शराब पिलाने की अनुमति इन्हें नहीं दी गई है। जब उहें बताया गया कि चखना सेंटर चलाने वालों ने तो शराब पीने की सुविधा दे रखी है। उन्होंने अस्थायी ठेला लगाने की जगह टेंट लगाकर कूलर, पेंडे, टेबल-बूर्झी सहित स्थायी होटल खोल रखा है। टेबल कूर्सियां भी लग रखी हैं और खुली खाद्य सामग्री भी बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि शराब की अधिक रूप से बिक्री या पिलाने का काम ही रखा है तो यह आबकारी विभाग को देखना चाहिए। अधिक प्रशासन विभाग सिर्फ खाद्य सामग्री की शुद्धता की जांच कर सकता है। यदि किसी ने जगह को भेरकर बिक्री शुरू की है तो नगरी प्रशासन विभाग के लिए एवं डॉर्टर जारी किया जाता है।

इधर नगर निगम विभाग के निरीक्षक अनिल सिंह ने बताया कि चखना सेंटर के किसी भी संचालक ने नगर निगम में ठेला लगाने की कोई अनुमति नहीं मांगी है। अस्थायी ठेलों को मामूली शुल्क के बाद यह लातेसें प्रदान किया जाता है। यदि नगर निगम की भूमि पर यह देला लगाया जाता है तो अवधारी ने उसे एवं डॉर्टर जारी किया जाता है।

इस बजाए जीएसटीटी की बायोडायाग्राम विभाग के लिए एवं डॉर्टर जारी किया जाएगा।

इस बजाए जीएसटीटी की बायोडायाग्राम विभाग के निरीक्षक देवेन्द्र विन्ध्याचार्य ने बताया कि उके पास शराब दूकानों के आसपास ठेले लगाने के लिए 40 अवेदन आए थे। इन सबका 100 रुपये की फीस लेकर अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनको सरकारी जमीन को छोड़कर किसी

भी स्थान पर चलाता-फिरता ठेला लगाने की अनुमति है। शराब की बिक्री, या शराब पिलाने की अनुमति इन्हें नहीं दी गई है। जब उहें बताया गया कि चखना सेंटर चलाने वालों ने तो शराब पीने की सुविधा दे रखी है। उन्होंने अस्थायी ठेला लगाने की जगह टेंट लगाकर कूलर, पेंडे, टेबल-बूर्झी सहित स्थायी होटल खोल रखा है। टेबल कूर्सियां भी लग रखी हैं और खुली खाद्य सामग्री भी बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि शराब की अधिक रूप से बिक्री या पिलाने का काम ही रखा है तो यह आबकारी विभाग को देखना चाहिए। अधिक प्रशासन विभाग सिर्फ खाद्य सामग्री की शुद्धता की जांच कर सकता है। यदि किसी ने जगह को भेरकर बिक्री शुरू की है तो नगरी प्रशासन विभाग के लिए एवं डॉर्टर जारी किया जाता है।

इधर नगर निगम विभाग के निर